न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 262/2025 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/455**
दायर दिनांक :– 14.08.2025 **निर्णय दिनांक :– 01.10.2025**

1. पन्नेसिंह पुत्र बलवंतसिंह जाति राजपूत निवासी नोख तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री देवीसिंह भाटी अधिवक्ता प्रार्थी
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने अप्रार्थी के विरूद्ध पूर्व में मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिकारी अधिनियम का पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थी का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है कि ग्राम नोख पटवार क्षेत्र नोख तहसील बाप जिला फलोदी में खसरा नम्बर 43/3088 रकबा 85–05 बीघा भूमि में सें संलग्न नजरी में दशाई गई रकबा 20–00 बीघा भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों कब्जा काश्त की स्थित है, जिसे वादग्रस्त भूमि से सम्बोधित किया जायेगा, जमाबन्दी की प्रति संलग्न पेश है। वादग्रस्त भूमि पर वक्त भू– प्रबन्ध (सेटलमेंट) प्रार्थी के पूर्वजों का भू–प्रबन्ध से पूर्व से खसरा नम्बर 43/3088 रकबा 85–05 बीघा में से रकबा 20–00 बीघा भूमि पर कब्जा व काश्त होते भू–प्रबन्ध कर्मचारियों व राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी के पूर्वजों के कब्जा व काश्त की जांच किये बिना ही उक्त वादग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पूर्वजों के नाम दर्ज नहीं कर खसरा नम्बर 43/3088 में गलत शामिल कर दी गई जबकि प्रार्थी के पूर्वजों का उतरोतर उनकी मृत्यु पर्यन्त और उसके बाद से प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि रकबा 20–00 बीघा पर कब्जा व काश्त चला जा रहा है, प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि में बारह मासी निरन्तर रहवास है तथा प्रत्येक वर्ष काश्त कर व खेती की पैदावार प्राप्त कर उसका उपयोग व उपभोग कर अपने परिवार का भरण पोषण करता आ रहा है। प्रार्थी ग्राम नोख पटवार क्षेत्र नोख तहसील बाप जिला फलोदी (राज.) में खसरा नम्बर 43/3088 रकबा 85–05 बीघा में से रकबा 20–00 बीघा भूमि संलग्न नजरी नक्शा अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की अधिकारी हैं। दिनांक 10/08/2025 को जब अप्रार्थी तहसीलदार, बाप के अधीनस्थ कर्मचारी पटवारी हल्का ने वादग्रस्त काश्त भूमि पर आकर प्रार्थी को कब्जा छोडने हेतु धमकी दी की उक्त भूमि सरकारी भूमि है तुम उक्त भूमि को खाली कर दो, तथा यहां हम सोलर प्लांट लगायेंगे यदि प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

से बेदखल कर दिया जाता है तो प्रार्थी को उसके परिवार के लिये भरण पोषण की भयंकर समस्या उत्पन्न हो जायेगी तथा प्रार्थी सहित प्रार्थी के परिवार के छः रहवासीय घरों में रहने वाले परिवार के सदस्यों के सिर से छत हट जायेंगी तथा प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन व क्षतिपूर्ति रूपयों में सभंव नहीं हो सकेगी, प्रार्थी अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार ने जवाब पेश कर कथन किया कि खसरा नम्बर 43/3088 रकबा 85–05 बीघा भूमि सरहद मौजा नोख सरकारी भूमि है। प्रार्थी ग्राम नोख पटवार क्षेत्र नोख तहसील बाप जिला फलोदी (राज.) में खसरा नम्बर 43/3088 रकबा 85–05 बीघा में से रकबा 20–00 बीघा भूमि संलग्न नजरी नक्शा अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की अधिकारी हैं। जिस पर प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई कब्जा व काश्त नहीं है और न ही सरकारी भूमि पर प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी ही दी जा सकती है। सरकारी भूमि को लेकर के प्रार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पंत्र काबिल खारिज फरमाया जावे।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम नोख पटवार क्षेत्र नोख तहसील बाप जिला फलोदी में खसरा नम्बर 43/3088 रकबा 85–05 बीघा भूमि में सें संलग्न नजरी में दशाई गई रकबा 20–00 बीघा भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों कब्जा काश्त की स्थित है। प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर दिया जाता है तो प्रार्थी को उसके परिवार के लिये भरण पोषण की भयंकर समस्या उत्पन्न हो जायेगी तथा प्रार्थी सहित प्रार्थी के परिवार के छः रहवासीय घरों में रहने वाले परिवार के सदस्यों के सिर से छत हट जायेंगी तथा प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन व क्षतिपूर्ति रूपयों में सभंव नहीं हो सकेगी, प्रार्थी अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

अप्रार्थी पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि सरकारी भूमि को लेकर के प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई अपूरणीय क्षति नहीं हो रही है। उक्त खसरा नम्बर 43/3088 रकबा 85–05 बीघा भूमि सरहद मौजा नोख सरकारी भूमि है जिस पर प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई कब्जा व काश्त नहीं है और न ही सरकारी भूमि पर प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी दी जा सकती है। सरकारी भूमि को लेकर प्रार्थी अप्रार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावे।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

वादगस्त भूमि की जमाबंदी ग्राम नोख के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 43/3088 राजस्व अभिलेख अनुसार राजकीय भूमि दर्ज है।राजकीय भूमि पर प्रार्थी ने विपरित कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों का वाद प्रस्तुत किया है। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया है वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नही है। प्रार्थी और अप्रार्थी के मध्य न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 जैरकार है। वादी के वाद में जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य सुनवाई उपरान्त ही निर्धारण किया जा सकता है कि वादग्रस्त भूमि में वादी का हक हिस्सा है या नहीं। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में भली भांति साबित नहीं होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र और जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 43/3088 राजस्व अभिलेख अनुसार राजकीय भूमि दर्ज है। राजकीय भूमि पर प्रार्थी ने विपरित कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों का वाद प्रस्तुत किया है। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया है वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नही है। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति कारित नहीं होगी। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी का दावा अन्तर्गत 88,89188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुवे है।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित नहीं होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.10.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर बाप जिला फलोदी (राज.)

01.10.25

(प्रेमराज पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)